न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट, हापुड

उपस्थितः– उमाकान्त जिन्दल (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6234)

सत्र परीक्षण संख्या 983/2022

मु0अ0सं0 308/2022

सरकार बनाम सावेज

अन्तर्गत धारा : 363,366 भा0दं0सं0 ,

3(2)(v) एस0सी0एस0टी0एक्ट

थाना : पिलखुवा

जिला : हापुड़

UPHP010051892022

26.08.2022

आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त सावेज जेल से उपस्थित। विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया जिसके द्वारा उन्हे अभियोजन का पक्ष कथन सिद्ध करना है ।

पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 363,366 भा0दं0सं0 ,3(2)(v) एस0सी0एस0टी0एक्ट के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है । अतः अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओ के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दि0 09.09.2022 को पेश हो । अभियोजन साक्षीगण तलब हो ।

(उमाकान्त जिन्दल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।

दि0 26.08.2022

Digitally signed by Umakant jindal
Date: 2022.08.31 14:34:29 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court Hapur

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट, हापुड

उपस्थितः– उमाकान्त जिन्दल (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6234)

सत्र परीक्षण संख्या 983/2022

मु0अ0सं0 308/2022

सरकार बनाम सावेज

अन्तर्गत धारा : 363,366 भा0दं0सं0 ,

3(2)(v) एस0सी0एस0टी0एक्ट

थाना : पिलखुवा

जिला : हापुड़

आरोप

मैं, उमाकान्त जिन्दल,अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0 एक्ट, हापुड, एतदद्वारा आप अभियुक्त सावेज पर यह आरोप लगाता हूँ कि :–

प्रथमत ::– यह कि दिनांक 11.06.2022 को सुबह 10.00 बजे ग्राम हिम्मतनगर दहपा बहद थाना पिलखुवा जिला हापुड में वादी की पुत्री/ पीडिता , को आप बहला फुसलाकर उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से ले गये और इसप्रकार आपने ऐसा कार्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 363 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है ।

द्वितीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर वादी की पुत्री/ पीडिता , को बहला फुसलाकर व विवाह का झांसा देकर आप व्यपहरण कर अपने साथ ले गये । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया, जो धारा 366 भा0दं0सं0 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

तृतीयतः ::– यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आपने पीडिता को यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति की सदस्य है, बहला फुसलाकर व विवाह का झांसा देकर आप व्यपहरण कर अपने साथ ले गये । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो धारा 3(2)(v) एस0सी0एस0टी0एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव एतदद्वारा मैं , आपको आदेशित करता हूँ कि उक्त आरोपों के लिये आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(उमाकान्त जिन्दल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।

दि0 26.08.2022

आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया एवं समझाया गया । अभियुक्त ने आरोप को अस्वीकार किया और विचारण की मॉग की।

(उमाकान्त जिन्दल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।

दि0 26.08.2022